Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. X, Issue No. XIX, July-2015, ISSN 2230-7540

संविधानवाद : लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. X, Issue No. XIX, July-2015, ISSN 2230-7540

संविधानवाद : लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व

Pardeep Kumar*

J.B.T. Teacher, Government Primary School, Nangal, District-Rewari, Haryana

सारांश – राजसत्ता के प्रयोग की सीमाएं एवं मर्यादाएं निश्चित की जानी चाहिए। राजसत्ता के प्रति आदिम समाजों की इस प्रतिक्रिया व विचार ने उस राजनीतिक चिन्तन की परम्परा को जन्म दिया जिसका विकास आधुनिक युग में 'संविधानवाद' के रूप में हुआ। संविधानवाद का इतिहास भी उतना ही पुराना है, जितना राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास। राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक शक्ति के प्रादुर्भाव ने मानव को इनकी निरंकुशता के बारे में सोचने को बाध्य किया। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और जब इसका सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं या राजनीति से जुड़ जाता है तो इसके पथभ्रष्ट व दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए एक चिन्तनशील व सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने प्रारम्भ से ही इस राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामाजिक रूप में कुछ नियन्त्रण व बाध्यताएं राजनीतिक शक्ति के ऊपर लगाई हैं। ये बाध्यताएं परम्पराओं, कानूनों, नियमों, नैतिक मूल्यों के रूप में भी हो सकते हैं और संगठित संवैधानिक शक्ति के रूप में भी। संविधान ही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली नियन्त्रक है जो राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति, पदधारी को नियन्त्रित रखता है तथा निरंकुश नहीं होने देता। संविधान राजनीतिक शक्ति को नियन्त्रित रखता है तथा अराजकता की स्थिति से भी बचाता है। शासक को नियन्त्रित व विधि अनुसार कार्य करने की शक्ति को संविधान तथा सभी शासकों को नियन्त्रित अधिकार क्षेत्र में रखने की संवैधानिक व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है।

मुख्य शब्द – संविधानवाद, निरंकुशता, अराजकता, उदारवादी लोकतन्त्र, साम्यवाद, सामाजिक बहुलवाद ।

----------X----------

प्रस्तावना

संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन उन विधियों और नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होते हैं। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं होती और शासन संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिक राजा का असीमित शासन है, लेकिन अरस्तु का आदर्श राज्य है : 'विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य'। ऐसा राज्य या शासन जिसमें की सर्वोच्च स्थिति किसी व्यक्ति को नहीं, वरन् विधि को प्राप्त है। 'विधि की सर्वोच्चता' वाला राज्य ही संविधानवाद के अनुसार चलने वाला राज्य कहलाता है। संविधान और संवैधानिक सरकार, संविधानवाद के आधार स्तम्भ हैं। संविधानवाद उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है, जहां संविधान हो और शासन संविधान के नियमों के अनुसार ही होता हो। संविधानवाद शासन और नागरिक के सम्बन्धों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिक के लिए आतंक का पर्याय न बन जाए। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है, जहां संविधान हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाय, अपितु इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाए अर्थात् सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों व प्रतिबन्धों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। अर्थात् सरल सरल शब्दों में संविधानवाद का आशय है, 'सीमित शक्तियों वाला शासन' ।

यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारण्टी नहीं है, लेकिन यह भी तथ्य है कि संविधान के बिना, संविधानवाद संभव नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, रूस आदि देशों में संविधान तो था पर वहां संवैधानिक सरकारों का अभाव था, क्योंकि वहां के तानाशाही शासकों के लिए संविधान एक रद्दी कागज की तरह था। इसलिए वहां पर संविधानवाद नहीं था। संवैधानिक सरकार ही संविधान को व्यवहारिक बनाती है। संविधान के व्यवहारिक प्रयोग के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार संविधानवाद का अर्थ है – उत्तरदायी व सीमित सरकार और उत्तरदायी व सीमित सरकारें लोकतान्त्रिक राज्यों

www.ignited.in

में पाई जाती हैं। प्राय: संविधानवाद की धारणा को उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी कहा जाता है। यह अवधारणा मूल्य मुक्त तथा मूल्य अभिभूत व्याख्याओं पर आधारित हैं। मूल्य मुक्त अवधारणा के रूप में इसमें केवल संविधानिक संस्थाओं का वर्णन किया जाता है, संविधान के आदर्शों व मूल्यों का नहीं। जब राजनीतिक समाज के आदर्शो और मूल्यों के दृष्टिगत संविधानवाद की व्याख्या की जाती है तो वह मूल्य - अभिभूत व्याख्या कहलाती है। मूल्य अभिभूत व्याख्या ही आधुनिक लोकतंत्र की मांग है। संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा उदारवाद का दर्शन है। संविधानवाद साध्य और साधन दोनों है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समाज के मूल्यों, आदर्शो (स्वतन्त्रता, समानता, न्याय) को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के शासन में प्रतिबंध की व्यवस्था द्वारा सीमित सरकार की व्यवस्था की जाती है और कुछ संविधानिक उपबन्धों द्वारा राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया जाता है। इससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता व अधिकारों का सरंक्षण होता है और विधि के शासन द्वारा समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधानवाद के अन्तर्गत संविधान का महत्व सरकार से अधिक होता है क्योंकि सरकार निर्माण संविधान के अन्तर्गत होता है व संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। प्राय: लोकतन्त्र में संवैधानिक सरकार संविधान के आदर्शों को मानने के लिए बाध्य प्रतीत होती हैं। संवैधानिक उपबन्ध तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत उसे संविधानवाद को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार संविधानवाद लोकतन्त्रीय भावना के अधिक निकट होता है।

वस्तुत: संविधानवाद तो अन्य शासन प्रणालियों साम्यवादी देशों मे भी स्थापित हो सकता है परन्तु साम्यवादी प्रणणियों में इसमें थोड़ी भिन्नता आ जाती है क्योंकि इस अवधारणा में संविधान का उद्देश्य सबके लिए स्वतन्त्रता, न्याय और अधिकार निश्चित करना न होकर समाजवाद की स्थापना पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसे देशों के संविधान में समाजवादी तत्वों का समावेश अधिक होता है तथा इनमें सीमित सरकार की अवधारणा को कम महत्व दिया जाता है। इन देशों में संविधानों में ऐसे प्रावधान है जो साम्यवादी दल की तानाशाही को स्थापित करने में सहायक होते हैं। कुछ विद्वान साम्यवादी देशों में संविधानवाद को एक धोखा मानते हैं क्योकि यहाँ स्वयं संविधान भी साम्यवादी दलों के हाथों की कठपुतली हैं। यद्यपि सभी लोकतान्त्रिक देशों में भी संविधानवाद का विकास उतना नहीं हुआ है, जितना पश्चिमी देशों में हुआ है। विशेषकर विकासशील देशों में संविधानवाद का विकास अधूरा है क्योंकि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अभी संक्रमणकाल के दौर से गुजर रही हैं। भारत इस मामले में अव्वल है जहाँ संविधानवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसने कि भारत के साथ ही आजाद होकर लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया था में कई बार सैन्य अधिकारियों द्वारा तख्ता पलट किया जा चुका है। भारत ने पाश्चात्य संविधानवाद के समस्त आदर्श प्राप्त कर लिए हैं और वह बराबर संविधानवाद का विकास कर रहा है। विकासशील देशों को राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, सत्ता की वैधता, राजनीतिक विकल्पों का अभाव, आधुनिकीकरण व सुरक्षा की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। होवार्ड रीगिन्स का कथन सत्य है कि ''राज्य नए हैं और राजनीतिक खेल नियम प्रवाह में हैं इसलिए संविधानवाद यहाँ अभी सुस्थिर नही हो सका है।''

लोकतान्त्रिक देशों में संविधानवाद के विकसित व पल्लवित होने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण तथा आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। लोकतान्त्रिक देशों में पाए जाने वाले विधि का शासन, मौलिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था, राजनीतिक शक्ति का विभाजन, पृथक्करण, विकेन्द्रीकरण व नियन्त्रण, स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो संविधानवाद को पनपने के लिए उपयुक्त आधार व स्थायित्व प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। निश्चित समय के बाद चुनाव, राजनीतिक दलों की व्यवस्था, समाचार पत्रों अथवा प्रैस की स्वतन्त्रता, लोकमत का महत्व, परम्पराएँ और सामाजिक बहुलवाद, सहिष्णुता, मिश्रित राजनीतिक संस्कृति आदि तत्वों के कारण तानाशाही व अराजकता के पनपने के अवसर कम हो जाते हैं। फलत: सरकार मर्यादित व उत्तरदायी बनी रहकर जन-कल्याण के कार्य करती है व संविधानवाद का आधार मजबूत होता हैं। संविधानवाद एक गत्यात्मक, मूल्यों पर आधारित, संस्कृति सम्बद्ध, समभागी व साध्यमूलक अवधारणा है।

संविधानवाद की उत्पत्ति किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नही है। इसकी उत्पत्ति और विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है। यूनानियों से लेकर वर्तमान समय तक संविधानवाद एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरा है। युनानी चिन्तकों के बाद इसे परवर्ती विचारकों ने भी विकसित होने मे अपना सहयोग दिया है। एक गतिशील अवधारणा के रुप में संविधानवाद का अपना एक विशिष्ट इतिहास रहा है। संविधान की उत्पत्ति सबसे पहले यूनान के ऐथेंस नगर में हुई थी। सर्वप्रथम युनानी दार्शानिकों ने ही राज्य के रुप, कार्यो, उद्देश्यों

Pardeep Kumar*

पर विचार किया और विवेकपूर्ण ढ़ंग से संवैधानिक शासन विचार किया। यूनानी नगर राज्यों के पतन के बाद रोम के महान साम्राज्य की स्थापना के बाद रोम में सरकार के उपकरण के रुप में संविधान का जन्म हुआ। कानून का संहिताकरण और उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत रोमन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो आधुनिक संविधानवाद का आधार थी। मध्यकाल में सामन्तवाद का प्रादुर्भाव हुआ तथा इस युग में धार्मिक सत्ता सर्वोच्च थी फलतः संविधानवाद का मार्ग अवरुद्ध हो गया। आधुनिक संविधानवाद का जन्म पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। औद्योगिक क्रान्ति के जन्म ने संविधानवाद को विकसित किया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद संविधानवाद यूरोपीय सीमाओं का लांघकर सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान इटली में फासीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद ने संविधानवाद को गहरी क्षति पहुंचाई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संविधानवाद के लोकतान्त्रिक प्रतिमान के साथ-साथ साम्यवादी प्रतिमान भी उभरने लगा। यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ईराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार आदि राष्ट्रों में सैनिक शासन व निरंकुशतावादी ताकतों के प्रादुर्भाव से संविधानवाद को गहरा आघात पहुंचा है। निरंकुशतावाद संविधानवाद के मार्ग से प्रमुख बाधा है। के.सी. व्हीयर ने लिखा है- ''जैसे-जैसे निरंकुशतावाद बढ़ता है, वैसे-वैसे संविधानवाद पीछे हटता है।''

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने निरंकुशतावादी ताकतों पर दबाव बनाया और संविधानवाद के रक्षक के रुप में पहचान बनाई। स्ट्रांग ने लिखा है-''अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राजनीतिक संविधानवाद की सुरक्षा की आवश्यक शर्त है।'' इसलिए तृतीय विश्वयुद्ध को टालने के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीयता को ही बढ़ावा देना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना संविधानवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है जैसा जर्मनी और इटली में हुआ था। आज का युग लोकतन्त्रीय संविधानवाद का युग है। इसकी रक्षा जनता द्वारा ही की जा सकती है। संविधानवाद के लिए शिक्षित व राजनीतिक रुप में जागरुक जनता से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। संविधानवाद के लिए जनता का राजनीतिक विश्वास शासक वर्ग के लिए प्रति होना अति आवश्यक है। जिस देश में राजनीतिक परम्पराएँ सुविकसित हो जाएं वहाँ संविधानवाद की जड़े गहरी होती है। वाटरगेट काण्ड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिया जाना लोकतन्त्रीय संविधानवाद की दृढ़ता का प्रतीक है। प्रायः लोकतान्त्रिक देशों में शासक वर्ग नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र देकर संविधानवाद की भावना अटूट बनाते हैं। संविधानवाद की रक्षा के लिए ऐसी राजनीतिक परम्पराएँ लोकतान्त्रिक देशों में देखी जा सकती हैं। सीमित सरकार, उत्तरदायित्व की भावना, मानव अधिकारों को लागू कर व जनमत का सम्मान कर संविधानवाद का विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

बी.एल.फड़िया - राजनीति विज्ञान (प्रतियोगिता साहित्य प्रकाशन)

तुलनात्मक राजनीति - इग्नू डीएस एम.ए. के नोटस

तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण - एम.डी.यू. रोहतक की पुस्तक।

अरुण दत्त शर्मा - राजनीति विज्ञान (अरिहन्त पब्लिकेशन्स) एनईटी/जेआरएफ/एसईएलटी

Corresponding Author

Pardeep Kumar*

J.B.T. Teacher, Government Primary School, Nangal, District-Rewari, Haryana

E-Mail –